अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 481 /जि0पि0व0क0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति/20–21/दिनांक 13/01/ 2021

निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति,
समस्त इण्टरमीडियेट/इंजी0/मेडिकल/मैनेजमेन्ट/बी0एड/डिग्री
कॉलिज/आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक,
जनपद–गाजियाबाद।

विषयः– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत नियमावली के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र संख्या–15(1)/26–3–2021 दिनांक 08 जनवरी, 2021 जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं अन्य अधिकारियों के साथ–साथ निदेशालय को प्रस्तावित समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–2919/स0क0/शिक्षा/–अ/3/159/2020–21 दिनांक 08 जनवरी, 2021 एवं निदेशालय के पत्र संख्या 2667 दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई गयी है, के, द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य व पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली/शासनादेशों में उल्लिखित नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कतिपय निर्देश दिये गये है। आप से अपेक्षा है किः–

1. जनपद मथुरा में जांच के दौरान अत्यधिक संख्या में हाईस्कूल के संदिग्ध/फर्जी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र प्रयोग होना पाया गया है। नियमावली दिनांक 14–04–2016 के नियम–12(iii) में छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से किये जाने हेतु शिक्षण संस्थान स्तर पर समिति गठित है। अतः समिति का दायित्व है कि शिक्षण संस्था स्तर से डुप्लीकेट डाटा व कूटरचित अभिलेखों के आधार पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित न किये जायें।
2. विश्वविधालयों/एफिलियेटिंग एजेंसियों द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के शुल्क/सीट आदि नियमानुसार लॉक नही की जा रही हैं। निजी क्षेत्र के जिन शिक्षण संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारित नही है उनमें दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के नियम –5 (xvii) (घ) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही शुल्क लॉक किया जायें।

राज्य विश्वविधालय द्वारा शुल्क निर्धारण करते हुए यदि सक्षम शिक्षा विभाग ,उ0प्र0 शासन से अनुमोदन प्राप्त किया गया है तो अनुमोदित शुल्क की धनराशि को विश्वविधालय से सहयुक्त निजी संस्थाओं के उक्त पाठ्यक्रम में लॉक किया जाना है किन्तु यदि सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर से विश्वविधालय द्वारा सहयुक्त निजी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क का अनुमोदन प्राप्त नही हुआ है तो नियमावली के उक्त नियम के अनुसार न्यूनतम शुल्क लॉक किया जाना अनिवार्य होगा।

3. नियमावली दिनांक 14–09–2020 के नियम –6 (xxii) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों /विश्वविधालयों में संचालित ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक है, में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले , किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा एवं स्पॉट प्रवेश को छोड़कर) छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह है।
4. नियमावली दिनांक 14–09–2020 के नियम–16(xxix) के अनुसार 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्रों के ही छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्था से अग्रसारित किये जायें।
5. नियमावली दिनांक 26–6–2018 के नियम–6 (xx) के अनुसार नवीन छात्रों के सापेक्ष अग्रतेर वर्ष में यदि नवीनीकरण आवेदन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम होता है अर्थात मिसिंग छात्रों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी संस्थाओं को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियमावली के नियम–15 (ii) के क्रम में विधिक कार्यवाही एवं धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

6. नियमावली दिनांक 23–06–2017 के नियम–15 (iv) के अनुसार छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान कोर्स को अधूरा छोड़ दिया जाता है अथवा परीक्षा में उपस्थित तो है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है या परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्र/संस्था को वापस करने का प्राविधान है।

7. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 10.10.2019 में प्राविधान है कि जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में इण्टरमीडियेट के अंको के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र (मैनेजमेंट कोटा व स्पॉट एडमिशन को छोड़कर), जिनकों इण्टरमीडियेट में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हैं वे ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह हैं।

8. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आधार बेस भुगतान अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित सभी छात्र/छात्राओं को आधार कार्ड से बैंक खाते को सीड करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्र के आधार सीडेड बैंक खाते में ही अन्तरित की जायेगी। आवेदन पत्र में बैंक खाता आदि विवरण दिये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

9. इसी प्रकार भरत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से आधार बेस उपस्थिति की प्रकिया अपनाने वाले संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2020–21 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उपरोक्त जांच/सत्यापन/प्रकिया को लागू कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(रजनीश कुमार पाण्डेय)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–1. जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला विधालय निरीक्षक, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
गाजियाबाद।